

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के पास पर, उन सभी से जिसका
इससे संबंध है, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी
रीक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता
और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM
IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY
WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER,
EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE
MAY STAND IN NEED.

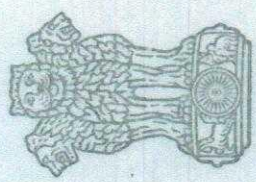
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश पर
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



(Signature)

(नीलम रानी)
नीलम रानी
Regional Passport Officer
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
अहमदाबाद / AHMEDABAD

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA





AH3070894025417	
65980069	06/12/2007
PIN: 393002, GUJARAT, INDIA	
VALIA ROAD, GIDC ANKLESHWAR, BHARUCH	
63, JALDARSHAN SOCIETY, NR. SUNDERVAN SOCIETY	
ANJU RAJESH KALRA	
RAJESH BHIMSEN KALRA	
P9371325	

विविध सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

टिप्पणी / OBSERVATION



विश्व में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित भारतीय मिशन/कंसुल में अपना पंजीकरण करवाएं।

आ पासपोर्ट प्राप्त सरकार की सम्मति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसका धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की यांग भी शामिल है तो उनका तुरंत अनुपालन किया जाय।

तो उसके लिये उपपायक किया था।
 इस पापघटे एक सूर्य किसी भी देश में जाकर प्रेक्षा जाए। यह पापघटे बाकल या उसके द्वारा
 प्रभावित व्यक्ति के लक्षणों में ही होता जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति
 की को नहीं जायेगा।

पलंगों पर तो माने, धोती हो जाने अथवा चट्टी हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम भारतीय अधिकारी को अवश्य जति थानापट्टी धारक केवलेय में है तो निकटतम भारतीय थाना/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल में ज्ञानी साधिए। विस्तृत घटनाओं के बाद ही समीक्षा थापण्ट जरी किया जाएगा।

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF
LIBYA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A
PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING
DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH
IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE LOST, STOLEN OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN CONSUL, CONSULATE GENERAL, HIGH COMMISSION OR EMBASSY, THE NEAREST PASSPORT AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE SEARCHES HAVE BEEN MADE AND NO DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

